न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 230/2015

1. टेकसिंह पुत्र श्री कौरसिंह उर्फ कोयरसिंह जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरदेवसिंह पुत्र श्री कौरसिंह उर्फ कोयरसिंह जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. सुखदेव कौर पत्नि श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जसपाल कौर पत्नि श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. बलदेवसिंह पुत्र श्री कौरसिंह उर्फ कोयरसिंह जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. सुखदेवसिंह पुत्र श्री कौरसिंह उर्फ कोयरसिंह जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ओ.पी. बत्तरा अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री प्रदीप कुमार सिहाग अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. अप्रार्थी सख्या 3 व 4 स्वयं उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.06.2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 28 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 20 में कृषि भूमि है जिसमें कोई मन्जूर शुद्धा रास्ता नहीं है। प्रार्थीयान मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में से होकर अपनें खेत में जानें के लिये रास्ता चल रहा है, अब भी मौके पर रास्ता चालू है, रास्ता मुन्जूर शुद्धा ना होनें से अप्रार्थीयान रास्ता बन्द करनें की धमकी दे रहे है, यदि उन्होनें रास्ता बन्द कर दिया तो प्रार्थीयान को जानें के लिये कोई रास्ता नहीं रहेगा।

प्रार्थीयान को यही रास्ता सुविधाजनक है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15 के साथ प्रार्थीयान का मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 11 में आता है तथा इससे प्रार्थीयान अपनें खेत में जा सकता है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A24
2

प्रार्थीयान को अभी तक यही बात कही की रास्ता मन्जूर करवायेगे लेकिन अब यह धमकी दी जा रही है, कि हम रास्ता बन्द कर देगे। प्रार्थीयान को यही रास्ता नजदीक व सुविधाजनक है इसलिये यही चक 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में से दो दो बिस्वा रास्ता मन्जूर किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया उपतहसीलदार चूनावढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में से रास्ता चल रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के खाते से सम्बंधित समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया जबाब प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कथन किया गया कि चक 28 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 13/1 की कुल 3.163 हैक्टर भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 के नाम मुश्तर्का खाता में दर्ज है इसी चक के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 2 ता 9, 13/2 ता 16 एवम् 25 में कभी भी रास्ता नहीं चलता आ रहा है। प्रार्थी अपनें कृषि भूमि में मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में मन्जूर शुद्धा रास्ते से होते हुए मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 20 एवम् 21 से आते जाते रहे एवम् यह ही उनके खेत को लघुत्तम रास्ता लगता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 औरतजात होनें के कारण प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 उसे तंग परेशान करनें की नियत से रंजिशवश उनकी कृषि भूमि में से यह रास्ता लेना चाहते है। मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में कभी भी रास्ता चालू नहीं रहा है।

सही तथ्य यह है, कि चक 28 जी.जी. जोधेवाला के खालो का पक्का करनें का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसके फलस्वरूप मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 तथा मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 11 में जब खाला पक्का करनें का निर्माण कार्य चल रहा था तो निर्माण कर्त्ता ठेकेदार नें निर्माण सामग्री लानें ले जाने हेतु प्रार्थी के किला नम्बर 15, 16, 25 में सामग्री डाल रखी थी जिसके कारण इन किलों में कुछ हिस्से में फसल नष्ट हो गई है तथा अस्थाई रास्ते का निर्माण हो गया है। इसी बात का फायदा उठाकर प्रार्थी नें श्रीमान् न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण का औरतजात होनें का फायदा उठाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली इस अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में प्रार्थी अप्रार्थीगण को तंग परेशान कर रहा है। तथा उनके अन्य किलो में खड़ी फसल को नुकसान कारित कर रहा है।

चक 28 जी.जी. जोधेवाला के मुरब्बा नम्बर 13 तथा 20 के सह काश्तकारों द्वारा अपनी कृषि भूमि आनें जानें हेतु एक प्रार्थना पत्र 257/2015 प्रस्तुत किया गया है इस प्रार्थना पत्र में मुरब्बा नम्बर 13 एवम् 20 के किला नम्बर 20 के काश्तकारों द्वारा मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 में से रास्ता चाहा गया है इस रास्ते के मन्जूर होनें के फलस्वरूप प्रार्थी की भूमि को रास्ता स्वतः ही मन्जूर होनें से तीन खातों के काश्तकार लाभान्वित होगें तथा मुआवजा राशि भी प्रार्थना पत्र में मांगे रास्ते की अपेक्षा कम लगेगी।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुरबा नम्बर 19 के किला नम्बर 16 में पक्का कमरा निर्मित है। जिसका अंकन तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में नहीं किया गया है जो कि किया जाना प्रार्थना पत्र में उचित निस्तारण हेतु आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अतः प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु वर्तमान में कृषि भूमि जिसमें से प्रार्थीगण नें रास्ता चाहा है, की मौका रिपोर्ट मंगवाई जावें।

अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उपतहसीलदार चूनावढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई रिपोर्ट में कथन किया गया कि उपस्थित ग्राम वासियों के रूबरू मौका जांच की गई मौके पर उपस्थितगणों नें बताया कि मुरब्बा नम्बर 19 व 14 दोनो मुरब्बों के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में लगभग दो वर्ष पूर्व रास्ता चालू था वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 के खातेदार सुखदेव कौर, जसपाल कौर पत्नियां हरचन्दसिंह द्वारा किला नम्बर 25 में कच्चे कोठे का निर्माण कर व तारबन्दी कर रास्ता बन्द कर दिया गया है जिससे मुरब्बा नम्बर 7 व 8 के काश्तकारों को अपनें खेत में आनें के लिये परेशानी होती है। एवम् उक्त बन्द किये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अतः मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में व मुरब्बा नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में आनें जानें हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। तथा चाहा गया रास्ता सबसे कम दूरी का होनें के कारण सुविधा सन्तुलन की दृष्टि भी भी उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। तथा प्रार्थी की भूमि को आनें जानें हेतु प्रार्थी के ग्राम से इस रास्ते के अलावा कम दुरी का कोई रास्ता नहीं होनें के कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में से दो दो बिस्वा स्वीकृत किया जावे तथा करनैल कौर वगैराह का प्रार्थना पत्र मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 का खारिज किया जावे।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरानं बहस कथन किया कि चक 28 जी.जी. जोधेवाला के मुरब्बा नम्बर 13 तथा 20 के सह काश्तकारों द्वारा अपनी कृषि भूमि आनें जानें हेतु एक प्रार्थना पत्र 257/2015 प्रस्तुत किया गया है इस प्रार्थना पत्र में मुरब्बा नम्बर 13 एवम् 20 के किला नम्बर 20 के काश्तकारों द्वारा मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 में से रास्ता चाहा गया है इस रास्ते के मन्जूर होनें के फलस्वरूप प्रार्थी की भूमि को रास्ता स्वतः ही मन्जूर होनें से तीन खातों के काश्तकार लाभान्वित होगें तथा मुआवजा राशि भी प्रार्थना पत्र में मांगे रास्ते की अपेक्षा कम लगेगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि उप तहसीलदार चूनावढ़ की मौका रिपोर्ट के अनुसार कि मुरब्बा नम्बर 19 व 14 दोनो मुरब्बों के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में लगभग दो वर्ष पूर्व रास्ता चालू था वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 के खातेदार सुखदेव कौर, जसपाल कौर पत्नियां हरचन्दसिंह द्वारा किला नम्बर 25 में कच्चे कोठे का निर्माण कर व तारबन्दी कर रास्ता बन्द कर दिया गया है जिससे मुरब्बा नम्बर 7 व 8 के काश्तकारों को अपनें खेत में आनें के लिये परेशानी होती है। एवम् उक्त बन्द किये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि में आनें जानें हेतु अन्य कोई रास्ते कर विकल्प नहीं होनें तथा पूर्व में रास्ता चालू होनें के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ)
श्रीगंगानगर

A24/4

– :: आदेश ::–

अतः उपतहसीलदार चूनावढ़ की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि में आनें जानें हेतु अन्य कोई रास्ते कर विकल्प नहीं होनें के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में मन्जूर शुद्धा रास्ते को आगे बढ़ाते हुए मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है, जिसका मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दुगना प्रार्थीगण सम्बंधित काश्तकारान को अदा करेंगें।

प्रार्थीगण द्वारा मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकारान को तहसीलदार अपनें स्तर पर उनके हिस्सा अनुसार राशि का वितरण करेगें। मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 के खातेदार सुखदेव कौर, जसपाल कौर पत्नियां हरचन्दसिंह द्वारा किला नम्बर 25 में किये गये कच्चे कोठे को तुडवाया जाकर मौके पर रास्ता खुलवाया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर